शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

दक्षता उन्नयन की प्रक्रिया से संबंधित वीडियो QR CODE

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2018/ 3679 भोपाल, दिनांक 15-06-2018

महत्वपूर्ण

दक्षता उन्नयन:
बेसलाइन टेस्ट
परिपत्र क्र–1

प्रति,

कलेक्टर,,
समस्त जिले, म.प्र.

विषय– बेसलाइन–एण्डलाइन टेस्ट संबंधी निर्देश सत्र 2018–19

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–24 में उल्लेख किया गया है कि **शाला स्तर पर इस प्रकार योजनाबद्ध प्रयास किए जाएं कि प्रत्येक बच्चा अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षता व कौशल अर्जित कर सके।** शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु बेसलाइन टेस्ट एवं दक्षता उन्नयन कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, जिला प्रशासन, शाला प्रबंधन समिति एवं पालक की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। अकादमिक सत्र 2018–19 में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (National Achievement Survey- NAS) 2017 के परिणाम के आधार पर हिन्दी व गणित की मूलभूत दक्षताओं पर विशेष बल दिया जाए। शालाओं में नियमित पाठ्यक्रम संचालन के साथ–साथ यह आवश्यक है कि मूलभूत दक्षताओं– भाषा में धारा प्रवाह पढ़ना, पढ़कर–समझना व शुद्ध लेखन कर पाना तथा गणित में संख्याओं की समझ एवं गणित की संक्रियाओं में दक्षता प्राप्त करना 'दक्षता उन्नयन कार्यक्रम' का प्रमुख उद्देश्य है।

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की सफलता हर बच्चे को इकाई मानकर बच्चे की आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त प्रयास कर दक्षता उन्नयन करने में है। प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुरूप दक्षता उन्नयन हेतु प्रयास करने के पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि हिन्दी व गणित की दक्षताओं का सटीक आकलन किया जाए। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कक्षा–3 से 8 तक दर्ज व अध्ययनरत समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसके विस्तृत निर्देश (गतिविधि कलेण्डर सहित) निम्नानुसार हैं–

1. **बेसलाइन टेस्ट की अवधि–** राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टेस्ट टूल्स, प्रपत्रों व स्तर आकलन निर्देश के अनुसार दिनांक 25 से 30 जून, 2018 की अवधि में कक्षाशिक्षक/विषयशिक्षक

2. बेसलाइन टेस्ट का स्वरूप–

शाला स्तर	विषयवार दक्षता स्तर	बेसलाइन टेस्ट टूल की विशेषताएं
प्राथमिक शाला (कक्षा–3 से 5)	**हिन्दी (बुनियादी दक्षता)**– • **पढ़ना** (अक्षर, शब्द, वाक्य, कहानी) • **लिखना** (अक्षर, शब्द) **गणित (बुनियादी दक्षता)**– • **गणित भाग–1** (अंक पहचान 1–9, संख्या पहचान 10–99, जोड़, घटाव, गुणा, भाग) • **गणित भाग–2** (मापन, ज्यामितीय आकृतियां)	• राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में हिन्दी व गणित में बच्चों की कम उपलब्धि वाले लर्निंग आउटकम्स पर आधारित कौशल का चिन्हांकन। **गतवर्ष से आंशिक संशोधन का विवरण**– • हिन्दी भाषा में लिखना दक्षता को *शामिल किया गया है।* **हिन्दी भाग–2 लिखना** (अक्षर, शब्द) • अंग्रेजी भाषा को *विलोपित किया गया है।*
माध्यमिक शाला (कक्षा–6 से 8) भाग–ब	**हिन्दी (बुनियादी दक्षता)**– • **हिन्दी भाग–1 पढ़ना** (अक्षर, शब्द, वाक्य, कहानी) • **हिन्दी भाग–2 लिखना** (अक्षर, शब्द) **गणित (बुनियादी दक्षता)**– • **गणित भाग–1** (अंक पहचान 1–9, संख्या पहचान 10–99, जोड़, घटाव, गुणा, भाग) • **गणित भाग–2** (मापन, ज्यामितीय आकृतियां) हिन्दी (उन्नत दक्षता)– • हिन्दी भाग–3 पढ़कर–समझना (जानकारी खोजना, निष्कर्ष निकालना, विलोम), लिखना (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) गणित (उन्नत दक्षता)– • **गणित भाग–3** (भिन्न से दशमलव, तुल्य भिन्न,डाटा की समझ, आलेख पर समझ, परिमाप, पैटर्न, गणितीय संक्रियाओं पर शाब्दिक सवाल–जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग)	• हिन्दी व गणित की **दक्षताएं**, जिन्हें *शामिल किया गया है*– **हिन्दी भाग–2 लिखना** (अक्षर, शब्द) **हिन्दी भाग–3**: पढ़कर–समझना (जानकारी खोजना, निष्कर्ष निकालना, विलोम) और लिखना (स्वतंत्र अभिव्यक्ति) । **गणित भाग–3** : भिन्न से दशमलव, तुल्य भिन्न, डाटा की समझ, आलेख पर समझ, परिमाप, पैटर्न, शाब्दिक सवाल (जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग)।

3. **बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री** –बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री (शीर्षक) निम्नानुसार होगी–

बेसलाइन टेस्ट सामग्री की सूची : प्राथमिक शाला (कक्षा–3 से 5) हेतु		
1.	टूल	बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी व गणित की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा–3 से 8
2.	मूल्यांकन प्रपत्र	विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र (बेसलाइन–एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा: 3 से 5
3.	संकलन प्रपत्र	शालावार संकलन प्रपत्र (बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा: 3 से 5
4.	बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट : विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश (बुनियादी दक्षता जांच हेतु) कक्षा: 3 से 8	
5.	दक्षता उन्नयन हेतु विद्यार्थियों के समूह निर्माण की प्रक्रिया	

बेसलाइन टेस्ट सामग्री की सूची : माध्यमिक शाला (कक्षा–6 से 8) हेतु		
1.	टूल	बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी व गणित की **बुनियादी दक्षता** की जांच कक्षा–3 से 8
2.	टूल	बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी व गणित की **उन्नत दक्षता** की जांच कक्षा–6 से 8 **(बच्चे के उपयोग हेतु)**
3.	टूल	बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी व गणित की **उन्नत दक्षता** की जांच कक्षा–6 से 8 **(शिक्षक उपयोग हेतु)**
4.	मूल्यांकन प्रपत्र	विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र विषय–हिन्दी (बेसलाइन–एण्डलाइन टेस्ट) कक्षाः 6 से 8
5.	मूल्यांकन प्रपत्र	विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र विषय–गणित (बेसलाइन–एण्डलाइन टेस्ट) कक्षाः 6 से 8
6.	संकलन प्रपत्र	शालावार संकलन प्रपत्र विषय–हिन्दी (बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट) कक्षाः 6 से 8
7.	संकलन प्रपत्र	शालावार संकलन प्रपत्र विषय–गणित (बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट) कक्षाः 6 से 8
8.	बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट : विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश (बुनियादी दक्षता जांच हेतु) कक्षाः 3 से 8	
9.	बेसलाइन/एण्डलाइन टेस्ट : विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश (उन्नत दक्षता जांच हेतु) कक्षाः 6–8	
10.	दक्षता उन्नयन हेतु विद्यार्थियों के समूह निर्माण की प्रक्रिया	

4. **बेसलाइन टेस्ट सामग्री की प्रति शालाओं को उपलब्ध कराना**– उक्त तालिका में उल्लेख अनुसार बेसलाइन व एण्डलाइन टेस्ट संबंधी टूल एवं मूल्यांकन व संकलन प्रपत्र की एक–एक प्रति समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा टेस्ट अवधि प्रारंभ होने के सात दिवस पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। सामग्री की व्यवस्था हेतु रुपए 0.75/– प्रति पेज की दर से राशि व्यय की जा सकेगी। उक्त सामग्री पोर्टल पर शीघ्र अपलोड की जा रही है।

5. **बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया**– राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल, प्रपत्र व स्तर आकलन संबंधी निर्देश के आधार पर कक्षा/विषय शिक्षक द्वारा (सेम्पल शालाओं में 'शाला मित्र' द्वारा) बेसलाइन टेस्ट सम्पादित कराया जाएगा।

   - **बेसलाइन टेस्ट टूल (बुनियादी दक्षता जांच)** : इसके लिए कक्षा/विषय शिक्षक द्वारा निर्धारित स्तर आकलन निर्देश अनुसार एक–एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर टेस्ट संचालित किया जाएगा। लिखकर हल करने वाले प्रश्नों को बच्चों को अपनी कापी के पेज पर या कागज उपलब्ध कराकर हल कराया जाए। आकलन पश्चात् प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाएगा।
   - **बेसलाइन टेस्ट टूल (उन्नत दक्षता जांच)** : इस टूल की फोटोकॉपी शाला प्रधानाध्यापक द्वारा शाला के कक्षा–6 से 8 में नामांकित बच्चों की संख्या के मान से कराई जाएगी। इस टूल की प्रत्येक बच्चे को अलग–अलग प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इसे स्तर आकलन के निर्देशानुसार बच्चे से हल कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार बच्चों को अपनी कापी के पेज पर या कागज उपलब्ध कराकर हल कराया जाए। सामग्री की व्यवस्था हेतु रुपए 0.75/– प्रति पेज की दर से शाला आकस्मिक निधि से राशि व्यय की जा सकेगी। आकलन पश्चात् प्रत्येक बच्चे के पेज को उसके पोर्टफोलियो में रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रूप से संधारित किया जाएगा।

6. **सेम्पल शालाओं में बेसलाइन टेस्ट सम्पादन प्रक्रिया–**

- *'शाला सिद्धिः हमारी शाला ऐसी हो'* के परिपत्र–2 दिनांक 17.11.17 के बिंदु 2.5 अनुसार जिले के अधिकारियों (प्राचार्य IASE, CTE, DIET, DPC, IASE, CTE, डाईट के अकादमिक सदस्य, संकुल प्राचार्य, BRC, BAC, APC, CAC) को शाला सिद्धि– हमारी शाला ऐसी हो अंतर्गत 1 या 2 शालाओं को गोद लेकर **''शाला मित्र''** *के रूप में* आयाम–3 में स्तर उन्नयन करने हेतु निर्देशित किया गया था।

- इस सत्र में प्रत्येक जिले की लगभग 20 प्रतिशत चयनित सेम्पल शालाओं में अध्ययनरत समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट उक्त अवधि में ही ''शाला मित्र'' द्वारा सम्पादित किया जाएगा। दिनांक 25 से 30 जून, 2018 की अवधि में पहले 3 दिन एक शाला में एवं अगले तीन दिन दूसरी शाला में जाएंगे। सेम्पल शालाओं का चयन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा रेण्डम आधार पर किया जाएगा।

- ***जिन शालाओं को सेम्पल शाला के रूप में चयन किया जाएगा, वहां पर ''शाला मित्र'' द्वारा ही बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा।*** उक्त *''शाला मित्र''* उपर्युक्तानुसार चयनित सेम्पल शालाओं में से किन्हीं दो शालाओं में पूरे समय स्वयं 'बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में' उपस्थित रहकर बच्चों का बेसलाइन टेस्ट संपन्न कराएंगे। **यह शालाएं उनके द्वारा पूर्व में शाला सिद्धि अंतर्गत गोद ली गई शालाओं से भिन्न होंगी।**

- शाला मित्र द्वारा इन शालाओं में बेसलाइन टेस्ट के आधार पर प्राप्त स्थिति को निर्धारित ''बेसलाइन टेस्ट शालावार संकलन प्रपत्र'' पर प्रविष्टियां करके शालावार भरे हुए प्रपत्र बीआरसी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। शालावार प्रपत्र की 'शाला दर्पण' मॉड्यूल में ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी।

- **सेम्पल शालाओं का चयन, 'शाला मित्र' को शाला आवंटन व नियुक्ति आदेश जारी करना–**

  - **सेम्पल शालाओं की सूची**– जिले की सूची जिला प्रोग्रामर के ईमेल पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - **बेसलाइन टेस्ट हेतु शाला आवंटन**– उक्त शाला सूची के आधार पर जिले के अधिकारियों को किन्हीं दो शालाओं का आवंटन किया जाए। यह शालाएं गोद ली गई शालाओं से पृथक होंगी। एक ही परिसर की शालाओं अथवा निकटतम शालाओं को एक अधिकारी को आवंटन को आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाए।
  - **'शाला मित्र' अधिकारी हेतु नियुक्ति आदेश**– अधिकारियों के बेसलाइन टेस्ट हेतु नियुक्ति आदेश निम्नानुसार प्रारूप में **जारी** किए जाएं–

विकासखण्ड	'शाला मित्र' अधिकारी का नाम व पद	'शाला मित्र' अधिकारी का यूनिक आईडी	संस्था जहां कार्यरत हैं	बेसलाइन टेस्ट हेतु आवंटित शाला का नाम व डाइस कोड	बेसलाइन टेस्ट का दिनांक	आवंटित शाला के जनशिक्षा केन्द्र का नाम	'शाला मित्र' अधिकारी का मोबाइल नम्बर

  - बेसलाइन टेस्ट हेतु आवंटित शालाओं का विवरण ईमेल पर भेजी जा रही गूगल शीट में आवंटित शाला के नाम के समक्ष अधिकारी का नाम, पद, मोबाइल नंबर अंकित किया जाकर पुनः उसी ईमेल पर भेजकर राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत कराएं।

7. **शाला प्रधानाध्यापक व शाला मित्र अधिकारियों का उन्मुखीकरण–**

- बेसलाइन टेस्ट हेतु शाला के प्रधानाध्यापक एवं 'शाला मित्र' अधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण (दिनांक 19–20 जून 2018) डाईट स्तर पर किया जाए। जहां डाईट नहीं है वहां जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जाए।
- उन्मुखीकरण किये जाने हेतु जिले के वर्ष 2018–19 में राज्य स्तर पर प्रशिक्षित एस.आर.जी /डी.आर.जी. का उपयोग किया जाए।
- **उन्मुखीकरण के समय सभी सहभागियों को बिन्दु क्र–4 में अंकित बेसलाइन टेस्ट संबंधी सामग्री (शाला स्तर अनुसार) का एक सेट प्रदान किया जाए। 'शाला मित्र' अधिकारी को** शाला से भरकर लेकर आने वाले **'बेसलाइन टेस्ट शालावार संकलन प्रपत्र' की तीन प्रति उपलब्ध कराई जाए। यह प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जाए, एक प्रति शाला में, एक प्रति बीआरसी में तथा एक प्रति संकुल केन्द्र में जमा की जाएगी। उक्त सामग्री डीपीसी द्वारा प्रत्येक सहभागी को उपलब्ध कराई जाए।** प्रशिक्षण के दौरान बेसलाइन टेस्ट करने का अभ्यास भी कराया जाए। शाला मित्र अधिकारियों को संलग्न **बेसलाइन टेस्ट मॉनीटरिंग प्रपत्र** की एक प्रति उपलब्ध कराई जाए, जो शाला मित्र आवंटित शाला से भरकर लेकर आएंगे और 'शाला दर्पण' पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे।
- प्रशिक्षण हेतु बेसलाइन टेस्ट आयोजन की प्रक्रिया संबंधी वीडियो दिखाए जाएं, ताकि समझ स्पष्ट हो सके। इस वीडियो को पत्र के प्रथम पेज पर दिए गए QR कोड को मोबाइल द्वारा स्केन कर देखा जा सकता है। इन वीडियो की लिंक संबंधितों के व्हाट्सअप पर भी शेयर की सकती है, ताकि बाद में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सके।

8. **बेसलाइन टेस्ट व एण्डलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख का संधारण, मॉनीटरिंग एवं ऑनसाइट सपोर्ट प्रदान करना–**

शाला स्तर पर– बेसलाइन **टेस्ट** व एण्डलाइन टेस्ट संबंधी प्रत्येक कक्षा का बच्चेवार अभिलेख व शालावार अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में प्रधानाध्यापक के पास उपलब्ध रहे और बच्चेवार जानकारी कक्षा/विषय शिक्षक के पास अनिवार्यतः उपलब्ध रहे, ताकि दक्षता उन्नयन हेतु छात्रों के वर्तमान सीखने के स्तर के आकलन पश्चात् उन्हें उपयुक्त समूहों में वर्गीकृत किया जा सके। साथ ही मॉनीटरिंग के समय अधिकारियों के अवलोकन एवं पुनः परीक्षण हेतु कक्षावार, विषयवार दक्षता उन्नयन हेतु निर्धारित समूहवार अभिलेख उपलब्ध रहें। **बेसलाइन टेस्ट के आधार पर समूह निर्माण की प्रक्रिया परिशिष्ट पर संलग्न है।**

जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर– जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर संबद्ध सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बेसलाइन टेस्ट एवं एण्डलाइन टेस्ट के भरे हुए शालावार संकलन प्रपत्र की उपलब्धता रहे, जिससे प्रत्येक जनशिक्षक को उसके क्षेत्राधिकार की शालाओं के अकादमिक स्तर की जानकारी उपलब्ध रहे एवं इस जानकारी के आधार पर ही कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑनसाइट सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किये जाएं।

ब्लाक स्तर पर– जनशिक्षा केन्द्रवार संकलित किए गए प्रपत्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि 'शाला दर्पण' पोर्टल पर की जाए। साथ ही प्रत्येक बीआरसी एवं बीएसी के पास विकासखण्ड की समस्त शालाओं के अकादमिक स्तर की जानकारी उपलब्ध रहे एवं इस जानकारी के आधार पर ही कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑनसाइट सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।

जिला स्तर पर– समस्त शालाओं की जानकारी के संकलन के उपरांत डाईट प्राचार्य/फेकल्टी, डीपीसी, एपीसी अकादमिक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं की मॉनिटरिंग एवं ऑनसाइट सपोर्ट के अतिरिक्त प्रयास किए जाएं।

9. **शिक्षक–पालकों की बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति साझा करना**– शाला स्तर पर आयोजित होने वाली शाला प्रबंधन समिति/शिक्षक पालक बैठक में प्रत्येक बच्चे का मूलभूत दक्षता स्तर प्रगति पत्रक में भरकर उसके पालक के साथ साझा किया जाए और उन्हें शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उनसे बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाए। 'संशोधित प्रगति पत्रक का प्रारूप' शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

10. **दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा**– दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समय–समय पर विभिन्न स्तरों से निरंतर शत्–प्रतिशत मॉनीटरिंग व समीक्षा की जाएगी। समस्त शालाओं की जानकारी प्राप्त होने के तुरंत बाद एक विशेष संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए एवं कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं में जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण हेतु अनुरोध किया जाए।

11. **बेसलाइन टेस्ट व दक्षता उन्नयन गतिविधियों के दौरान शालाओं की मॉनीटरिंग**– बेसलाइन टेस्ट व उसके बाद शाला स्तर पर संचालित होने वाली गतिविधियों की समय–समय पर विभिन्न स्तरों से निरंतर मॉनीटरिंग की जाएगी। इसके लिए निर्देश निम्नानुसार होंगे–

कब	स्तर	कौन	मॉनीटरिंग के मुख्य बिन्दु
बेसलाइन टेस्ट के दौरान	राज्य स्तर	ओ.आई.सी.	बेसलाइन टेस्ट क्रियान्वयन की गुणवत्ता, दक्षता उन्नयन हेतु बच्चों के समूह निर्धारण आदि।
	संभाग स्तर	शा. शिक्षा महा. के प्राचार्य व स्टाफ संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	
	जिला स्तर	डीपीसी, डाइट प्राचार्य, डीईओ, डाइट स्टाफ, एपीसी अकादमिक	
	ब्लॉक स्तर	बीआरसी, बीएसी	
	जनशिक्षा केन्द्र स्तर	जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, जनशिक्षक	
बेसलाइन टेस्ट के बाद दक्षता उन्नयन गतिविधियां संचालन के दौरान	राज्य स्तर	ओ.आई.सी.	• निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दक्षता उन्नयन हेतु कक्षा संचालन • दक्षता उन्नयन हेतु शिक्षक की समझ व दक्षता उन्नयन मॉड्यूल/सामग्री की उपलब्धता • शाला के सामान्य बिन्दु आदि।
	संभाग स्तर	शा. शिक्षा महा. के प्राचार्य व स्टाफ संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	
	जिला स्तर	डीपीसी, डाइट प्राचार्य, डीईओ, डाइट स्टाफ, एपीसी अकादमिक	
	ब्लॉक स्तर	बीआरसी, बीएसी	
	जनशिक्षा केन्द्र स्तर	जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, जनशिक्षक	

नोट– उक्त हेतु राज्य स्तर से 'मॉनीटरिंग प्रपत्र' उपलब्ध कराया जाएगा। इस भरे हुए प्रपत्र की 'शाला दर्पण' पोर्टल पर डाटा एण्ट्री संबंधित मॉनीटरकर्ता द्वारा की जाएगी।

12. **अन्य निर्देश**– बेसलाइन टेस्ट व एण्डलाइन टेस्ट की अवधि में किसी भी शिक्षक का किसी भी तरह का अवकाश मान्य नहीं किया जाए। प्रत्येक बच्चे का निर्धारित प्रपत्रों में अभिलेख संधारित किया जाए। शिक्षक की अनाधिकृत अनुपस्थिति व व्यवस्थित अभिलेख संधारित न पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाए कि शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम रहे।

बेसलाइन टेस्ट का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर आयु एवं कक्षा अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं की उपलब्धि स्तर में सुधार करना है। अतः **मात्र बेसलाइन टेस्ट के परिणाम के आधार पर किसी भी शिक्षक पर कार्यवाही न की जाए।** अपितु टेस्ट उपरांत फॉलोअप गतिविधियां जैसे– सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण, प्रतिदिन निर्धारित समय–सारणी अनुसार दक्षता उन्नयन हेतु निर्धारित कालखण्ड का संचालन, शिक्षक मार्गदर्शिका अनुसार गतिविधि का संचालन एवं बच्चों को प्रदाय की गई वर्कबुक/अभ्यास पुस्तिका की शिक्षक द्वारा नियमित जांच संबंधी निर्देश का पालन किया जाए। **कार्यक्रम के क्रियान्वयन में यदि शाला स्तर, जन शिक्षा केन्द्र, विकासखण्ड अथवा जिले स्तर पर किसी भी अधिकारी की लापरवाही परिलक्षित हो तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए।**

(लोकेश कुमार जाटव)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/2018/ 3680 भोपाल, दिनांक 15/06/18

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र., भोपाल
7. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
12. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
13. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
14. प्राचार्य, डाइट/डीआरसी, समस्त, म.प्र.।
15. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले, म.प्र.।
16. श्री शेखर सराठे प्रोग्रामर व श्री वैभव श्रीवास्तव, प्रोग्रामर, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल। कृपया सेम्पल शालाओं का चयन व सूची जिलों को भेजना, शाला दर्पण मॉड्यूल में बेसलाइन टेस्ट शालावार प्रपत्र की डाटा एण्ट्री आदि कार्य नियंत्रक मूल्यांकन व नियंत्रक आइसीटी के मार्गदर्शन में समय–सीमा में सम्पादित करेंगे।
17. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

दक्षता उन्नयन हेतु
बेसलाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों के समूह निर्माण की प्रक्रिया

सीखने के स्तर के आधार पर समूह बनाना

दक्षता उन्नयन हेतु विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन प्रपत्र में अंकित सीखने के स्तर/लर्निंग लेवल के आधार पर विद्यार्थियों को निम्नानुसार समूहों में विभाजित किया जाए-

कक्षा 1-2 का बैच	एक समूह
कक्षा 3-5 का बैच	दो समूह (सीखने का स्तर 1-2, सीखने का स्तर 3-5)
कक्षा 6-8 का बैच	तीन समूह (सीखने का स्तर 1-2, सीखने का स्तर 3-5, सीखने का स्तर 6-8)

कक्षावार-विषयवार समूह विभाजन

शाला स्तर	कक्षा समूह	विषय- गणित सीखने का स्तर परिभाषा	विषय- हिन्दी भाषा सीखने का स्तर परिभाषा
प्राथमिक शाला	कक्षा 1-2 के लिए	सभी बच्चे एक साथ एक ही समूह में बैठेंगे।	सभी बच्चे एक साथ एक ही समूह में बैठेंगे।
	कक्षा 3-5 के लिए	**सीखने का स्तर 1-2 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर अंक पहचान, संख्या पहचान या जोड़ है। **सीखने का स्तर 3-5 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर घटाना, गुणा या भाग है।	**सीखने का स्तर 1-2 :** वे बच्चे जिनका हिन्दी पढ़ना में उच्चतम स्तर प्रारंभिक या अक्षर है। **सीखने का स्तर 3-5 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर शब्द, वाक्य या कहानी है।
माध्यमिक शाला	कक्षा 6-8 के लिए	**सीखने का स्तर 1-2 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर अंक पहचान, संख्या पहचान या जोड़ है। **सीखने का स्तर 3-5 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर घटाना या गुणा है। **सीखने का स्तर 6-8 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर भाग है।	**सीखने का स्तर 1-2 :** वे बच्चे जिनका हिन्दी पढ़ना में उच्चतम स्तर प्रारंभिक या अक्षर है। **सीखने का स्तर 3-5 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर शब्द या वाक्य है। **सीखने का स्तर 6-8 :** वे बच्चे जिनका उच्चतम स्तर कहानी है।

बेसलाइन टेस्ट मॉनीटरिंग प्रपत्र

(यह प्रपत्र 25 से 30 जून की अवधि में सेम्पल शालाओं के लिए "शाला मित्र" द्वारा भरा जाए)

जिला...विकासखण्ड...विद्यालय का नाम................................

डाईस कोड..जन शिक्षा केन्द्र का नाम...दिनांक...................

यूनिक आईडी कोड......................................

प्र.1 छात्रों की उपस्थिति

(निर्देश) – कक्षावार उपस्थिति 3–5 / 6–8

कक्षा	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या

प्र.2 शालावार संकलन प्रपत्र : बेसलाइन टेस्ट (प्रारूप संलग्न)

(निर्देश)-- विद्यालय में 3 प्रकार के 'शालावार संकलन प्रपत्र' उपलब्ध हैं जो कि निम्नानुसार हैं–

1. शालावार संकलन प्रपत्र (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 3 से 5 के लिए
2. शालावार संकलन प्रपत्र विषय हिन्दी (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 6 से 8 के लिए
3. शालावार संकलन प्रपत्र विषय गणित (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 6 से 8 के लिए

उपरोक्त प्रपत्रानुसार शाला दर्पण में प्रविष्टि करें। प्राथमिक विद्यालय के लिए क्रमांक–1 पर अंकित तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए क्रमांक– 2 एवं 3 पर अंकित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा।

प्र.3	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टूल प्राप्त हुआ है • प्राथमिक के लिए– बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की बुनयादी दक्षता की जांच कक्षा– 3 से 8 • माध्यमिक के लिए– ○ बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की बुनयादी दक्षता की जांच कक्षा– 3 से 8 ○ बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की उन्नत दक्षता की जांच कक्षा 6 से 8	हॉ / नहीं
प्र.4	क्या विद्यालय के पास 'बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एव गणित की उन्नत दक्षता की जांच कक्षा 6 से 8' के टूल की छायाप्रतियां प्रत्येक विद्यार्थी के मान से उपलब्ध है।	हॉ / नहीं
प्र.5	क्या शिक्षकों को कक्षा में टूल के उपयोग की सही व स्पष्ट समझ है? (शालामित्र शिक्षकों से टूल पर चर्चा करें)	हॉ / नहीं
प्र.6	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर (लर्निंग लेवल) अनुसार समूह निर्माण प्रक्रिया की स्पष्ट समझ है ? (शालामित्र शिक्षकों से टूल पर चर्चा करें)	हॉ / नहीं
प्र7	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों के समूह निमार्ण प्रक्रिया संबंधी निर्देश की प्रति प्राप्त हुई है ?	हॉ / नहीं
प्र.8	क्या विद्यालय में शालामित्र द्वारा शिक्षक के सहयोग से समूह बनाने की प्रक्रिया सम्पन्न हुई ?	हॉ / नहीं

नाम– .... हस्ताक्षर– ....

बेसलाइन टेस्ट मॉनीटरिंग प्रपत्र

(यह प्रपत्र 25 से 30 जून की अवधि में सेम्पल शालाओं के लिए “शाला मित्र” द्वारा भरा जाए)

जिला...विकासखण्ड...विद्यालय का नाम...............................

डाईस कोड..जन शिक्षा केन्द्र का नाम...दिनांक....................

यूनिक आईडी कोड.......................................

प्र.1 छात्रों की उपस्थिति
(निर्देश) – कक्षावार उपस्थिति 3–5 / 6–8

कक्षा	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	जांच किए गए विद्यार्थियों की संख्या

प्र.2 शालावार संकलन प्रपत्र : बेसलाइन टेस्ट (प्रारूप संलग्न)

(निर्देश)– विद्यालय में 3 प्रकार के 'शालावार संकलन प्रपत्र' उपलब्ध हैं जो कि निम्नानुसार हैं–

1. शालावार संकलन प्रपत्र (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 3 से 5 के लिए
2. शालावार संकलन प्रपत्र विषय हिन्दी (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 6 से 8 के लिए
3. शालावार संकलन प्रपत्र विषय गणित (बेसलाइन / एण्डलाइन टेस्ट) कक्षा 6 से 8 के लिए

उपरोक्त **प्रपत्रानुसार शाला दर्पण में प्रविष्टि करें।** प्राथमिक विद्यालय के लिए क्रमांक–1 पर अंकित तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए क्रमांक– 2 एवं 3 पर अंकित प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा।

प्र.3	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टूल प्राप्त हुआ है • प्राथमिक के लिए– बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की बुनयादी दक्षता की जांच कक्षा– 3 से 8 • माध्यमिक के लिए– ○ बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की बुनयादी दक्षता की जांच कक्षा– 3 से 8 ○ बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की उन्नत दक्षता की जांच कक्षा 6 से 8	हाँ / नहीं
प्र.4	क्या विद्यालय के पास 'बेसलाइन टेस्ट : हिन्दी एवं गणित की उन्नत दक्षता की जांच कक्षा 6 से 8' के टूल की छायाप्रतियां प्रत्येक विद्यार्थी के मान से उपलब्ध है।	हाँ / नहीं
प्र.5	क्या शिक्षकों को कक्षा में टूल के उपयोग की सही व स्पष्ट समझ है? (शालामित्र शिक्षकों से टूल पर चर्चा करें)	हाँ / नहीं
प्र.6	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर (लर्निंग लेवल) अनुसार समूह निर्माण प्रक्रिया की स्पष्ट समझ है ? (शालामित्र शिक्षकों से टूल पर चर्चा करें)	हाँ / नहीं
प्र7	क्या शिक्षकों को बेसलाइन टेस्ट के आधार पर विद्यार्थियों के समूह निमार्ण प्रक्रिया संबंधी निर्देश की प्रति प्राप्त हुई है ?	हाँ / नहीं
प्र.8	क्या विद्यालय में शालामित्र द्वारा शिक्षक के सहयोग से समूह बनाने की प्रक्रिया सम्पन्न हुई ?	हाँ / नहीं

नाम– .... **हस्ताक्षर–** ....